संख्या– 134 / II–2005–04(14)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

देहरादून, दिनांक 07 जुलाई 2005

विषयः– जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में कलसिया नाला काठगोदाम के सुरक्षात्मक कार्य की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि " जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में कलसिया नाला काठगोदाम के सुरक्षात्मक कार्य की योजना लागत रू0 15.41 लाख के आगणन की टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रू0 15.10 लाख, (रूपये पन्द्रह लाख दस हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

1– उक्त बाढ़ योजना पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना के आगणन पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2– उक्त कार्य के निष्पादन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेण्डर विषयक नियम, मितव्ययता के सम्बन्ध में आदेश एवं शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का पालन किया जाय।

3– स्वीकृत की जा रही बाढ़ योजना का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

4– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5– आगणन में उल्लिखित दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित की जाय एवं जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हैं की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित करायी जाय।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एकमुस्त प्राविधान पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

क्रमशः.....2

N/L
328

9— कार्य करने से पूर्व तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर एवं सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

10— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली—भान्ति निरीक्षण उच्चाधिकारियों से अवश्य करा ले निरीक्षण के पश्चात स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

11— निर्माण सामग्री प्रयोग में लेने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टैस्टिंग कराकर उपयुक्त पायी जाने पर ही सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

12— योजना के लिए धनावंटन मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर पूर्व से ही अवमुक्त धनराशि में से किया जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 775/वि0अनु0—03/2005 दिनांक 01 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्याः—134/II—2005—04(14)/05तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तरॉचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2— वित्त अनुभाग—3, उत्तरॉचल शासन।
3— कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, नैनीताल ।
4— निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा, उत्तरांचल।
5— निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण, राज्य सम्पत्ति, संसदीय कार्य, सूचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तरांचल।
6— नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरॉचल शासन।
7— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरॉचल।
9— गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

C:\Documents and Settings\Sachiv\My Documents\R.K. Sernwal\Flood, Ga.doc